


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 21.05.15


बैठक स्थगन सूचना

विभाग द्वारा प्रेषित संशोधित बैठक सूचना समसंख्यक पत्र दिनांक 14.05.2015 का अवलोकन करावें, जिसके द्वारा माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दौसा जिले की दिनांक 24.05.2015 को आयोजित समीक्षा बैठक अपरिहार्य कारणों आगामी आदेशों तक स्थगित की जाती है।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी एवं भूजल विभाग।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 6 निजी सचिव, महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 8 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 9 निजी सचिव, आयुक्त महानरेगा।
- 10 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 11 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 12 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 13 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 14 जिला कलक्टर, जिला परिषद दौसा/राजसमन्द/नागौर
- 15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा/राजसमन्द/नागौर को प्रेषित कर लेख है जिला/खण्ड स्तरीय समस्त अधिकारियों का बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे, बैठक हेतु आवश्यक सूचनाएं तैयार करेंगे एवं बैठक आयोजन संबंधि समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- 16 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 17 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 18 जिला प्रभारी, मुख्यालय, जयपुर।
- 19 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)